

NOC

संलग्नक - 3

15

24

विश्व प्रज्ञापीठ  
एवम्  
दारागा खेरा

सेवा में,

श्रीमान्  
प्रधानाचार्य, विश्व प्रज्ञापीठ,  
विश्व प्रज्ञापीठ, दारागा खेरा,  
दारागा खेरा, लखनऊ

शिक्षा (7) अनुदान

दिनांक : 29/8/03

विषय :- **अवध कॉलेजियेट परीक्षा, वर्ष 02 की परिणाम सूची परीक्षा के संबंध में आवेदन : अनापत्ति प्रमाण पत्र दिवे को विषय ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **धीरे धीरे** नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिवे जतने में उक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1.1 विद्यालय की पंजीकृत होतनाही का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 1.2 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 1.3 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिकूल स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०१० या उ० शिक्षा परिषद द्वारा संबालित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मुक्त है अधिक मुक्त नहीं लिया जायेगा ।
- 1.4 संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फाउंडेशन स्कूल नतीफिक्ट इकायिंस नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०१० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त ही जायेगा ।

—2—

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
PRINCIPAL  
AVADH COLLEGIATE  
DAROGA KHERA, LUCKNOW

MANAGER  
AVADH COLLEGIATE  
DAROGA KHERA, LUCKNOW

तन्त्र्या वैदिक एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजस्वीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

86E

कर्मचारियों की सेवा शर्तें अस्थायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असाहायकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति या लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

87E

राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन पर जो भी आदेश निकाल दिये जायेंगे तन्त्र्या उनका पालन करेंगी।

88E

विधानलय का रिकार्ड निष्कासित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

89E

उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/तशोर्धन/परिवर्द्धन नहीं दिये जायेंगे।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना तन्त्र्या के लिए अनिवार्य होगा यदि किसी समझ प्रकृति काया जाता है कि सरकार द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनुमन्य प्रमाण को कायम के लिए जायेगा।

आदेश, 1978  
श्री 100/1978  
श्री 100/1978

पुं०संख्या एवं दिनांक तैय

प्रतिनिधि निम्नलिखित के सुकृतार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- जिला विधानलय निरीक्षक, लखनऊ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय संघ, 3050, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, ~~...~~
- 6- गार्ड फुल।

आदेश, 1978  
श्री 100/1978  
श्री 100/1978

*[Handwritten Signature]*

MANAGER  
MADH COLL  
...